

20-1-20 पत्रावली पेश हुई। अभीलार्थी मय अधिवक्ता
उपाधित नसे। राजकीय अधिवक्ता उपर
अभीलार्थी को बाट-बाटव रक-रककर आवाज
लगाने पट भी बाजिर नसे। आर/आत: अभील
अभीलार्थी अदम हजारो व अदम पैली मे
खारिज की जाती है। पत्रावली प्रसल
शुमार होकर म्बर से कम हो।

(कैलाश लखारा)
भू-प्रवक्ता और कमी एवं बदेन
राजस्व अपली प्राधिकार, भीलवाड़ा

